संख्या: 35/2023/217/008-56-1099-198-2019

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 21 मार्च, 2023

विषय: निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट अलीगढ़ हवाई अड्डे के संचालन हेतु कैपिटल कार्यो को कराये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-279/आर0सी0एस0/यू0पी0आर0एन0एन0/2022 दिनांक 09 फरवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट अलीगढ़ पर आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफिस फर्नीचर एवं स्पिलिट ए0सी0 के कार्य की आगणन लागत रू0 39.39 लाख का परीक्षण कराते हुए परियोजना लागत को पुनरीक्षित कर पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त कार्यों हेतु धनराशि के व्यय की स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में निर्णय कराने का अनरोध किया गया है।

2- निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट अलीगढ़ के विकास कार्यों हेतु पूर्व स्वीकृति लागत रू0 2541.59 लाख में आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफिस फर्नीचर एवं स्पिलिट ए0सी0 के कार्य हेतु आगणन लागत रु0 39.39 लाख सम्मिलित करते हुए परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2580.98 लाख (रूपए पच्चीस करोड़ अस्सी लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफिस फर्नीचर एवं स्पिलिट ए0सी0 के कार्य की लागत रु0 39.39 लाख में से 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 1.9695 लाख को रोकते हुए रू0 37.4205 लाख (रूपए सैंतीस लाख बयालीस हजार पचास मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निर्माणाधीन नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट अलीगढ़ के विकास कार्यों हेतु पूर्व स्वीकृति लागत रू0 2541.59 लाख में आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफिस फर्नीचर एवं स्पिलिट ए0सी0 के कार्य हेतु आगणन लागत रु0 39.39 लाख सम्मिलित करते हुए परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2580.98 लाख (रूपए पच्चीस करोड़ अस्सी लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ आई0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफिस फर्नीचर एवं स्पिलिट ए0सी0 के क्रय की लागत रु0 39.39 लाख में से 5 प्रतिशत की धनराशि रू0 1.9695 लाख को रोकते हुए रू0 37.4205 लाख (रूपए सैंतीस लाख बयालीस हजार पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

I- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

II- निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक नागरिक उड्डयन की होगी।

III- निदेशक नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

IV- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

V- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

VI- निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

VII- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VIII- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य मदों, उनकी मात्राओं तथा विशिष्टियों का निर्धारण अपनी आवश्यकतानुसार करते हुए जेम पोर्टल से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लस (जेम) की व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम अनुभाग-02 के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2017 के प्रस्तर 02 एवं प्रस्तर 03 में वर्णित व्यवस्था के आधार पर सामग्री का क्रय किए जाने हेतु निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

IX- उक्त स्वीकृत इस शर्त के अधीन है कि पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02टी0सी0 दिनांक 14 अगस्त, 2018, शासनादेश संख्या 97/2020/2221/छप्पन-2020-18/02 टी.सी. दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-98/2022/1826/ छप्पन-2022-18/2002 टी0सी0 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0- ई-7- 481/दस-2022-23, दिनांक 21 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्याः 35/2023/217(1)/008-56-1099-198-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III आडिट भवन टी0सी0-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) जिलाधिकारी, अलीगढ़।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अलीगढ़।

(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।